न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार

आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं0 21/2019

जगदीश पुत्र दाना उर्फ काना जाति मीना निवासी डुगराबता तह0 लवाण जिला दौसा

बनाम

1. नानगा पुत्र काना
2. बाबूलाल पुत्र रामसहाय
3. कैलाश पुत्र रामसहाय
4. कानी पत्नि रामसहाय
5. मनीषा पत्नि गिर्राज
6. मीरा पत्नि रामकेश

जाति मीना निवासी काली खाड तह० नांगल राजावतान

7. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार नांगल राजावतान

अपील विरुद्ध आदेश ए एस ओ दिनांक 8–2–83 एवं 22.3.83 खसरा परिशोधन क्रमांक 8 ग्राम सिंगपुरा में स्थित भूमि खसरा न० 91 से 94

उपस्थित : 1 श्री रामलाल गोठवाल अधिवक्ता अपीलांट।

2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 30.5.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि ए एस ओ दिनांक 8–2–83 एवं 22.3.83 खसरा परिशोधन क्रमांक 8 ग्राम सिंगपुरा में स्थित भूमि खसरा न० 91 से 94 से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। अप्रार्थी सं0 1 से 6 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सींगपुरा तह० नांगल राजावतान में वर्तमान आराजी खसरा न0 91 ला0 94 रकबा 0–22 है० स्थित है उक्त भूमि की खातेदारी वर्तमान मे रेस्पोडेन्ट न० 1 ला0 6 के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि के साबिक के साबिक खसरा नं0 24 रकबा 17 बिस्वा थे तथा साबिक मे खातेदारी मृतक गणेश पुत्र मंगला मीना निवासी कालीखाड के नाम से दर्ज रिकार्ड थी तथा गणेश ने उक्त भूमि अपीलांट की माता छगनी उर्फ सुगनी पत्नि काना को जरिये दानपत्र दिनांक 18–5–81 को दी जिसका दान पत्र उपपंजीयक दौसा के यहां पंजीयन किया गया तथा ए एस ओ द्वारा दि० 18.6.81 को दान पत्र के आधार पर छगनी के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये थे। इस प्रकार उक्त भूमि प्रार्थी की माता छगनी उर्फ सुगनी की खातेदारी की भूमि रही है। इसके [illegible] सन 1983 मे रेस्पोडेन्ट न01 व मृतक रामसहाय ने षड्यंत्र रचकर तथा भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों व अधिकारी से साज करके चुपचाप में अपीलाट की [illegible] अवैध रूप से एक परिशोधन पत्र न० 8 भराकर जीवित व्यक्ति को मृतक बताकर अवैध रुप से मिली [illegible] कर खातेदारी रेस्पाडेन्ट न० 1 व मृतक रामसहाय ने अवैध रु[illegible] दर्ज करवाली जबकि अपीलांट की माता छगनी उर्फ सुगनी मृतक तारीख 30–6–2008 को हुई है जिसका मृत्यू प्रमाण पत्र प्रस्तुत है। यानी सन 1983 मे छगनी जीवित थी। परन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना कोई जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:21 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

किये रेस्पोडेन्ट न0 1 मृतक रामकरण से मिलकर अवैध रूप से खातेदारी दर्ज करवाई है जो स्पष्ट रुप से धोखाधडी पूर्ण कार्यवाही है जिसके सम्बन्ध मे प्रार्थी द्वारा एक फोजदारी प्रकरण भी दर्ज करवाया है जो जैर तफतीश है। अतः उक्त आदेश ए एस ओ व परिशोधन पत्र के विरुद्ध अपील पेश की जा रही है। अधिनस्थ ए एस ओ का आदेश व परिशोधन पत्र खिलाफ कानून, नियम, उपनियम व पत्रावली तथ्यों के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। उक्त विवादित भूमि साबिक खसरा न0 24 रकबा 17 बिस्वा अपीलांट को जरिए दान पत्र ता० 18–5–81 को प्राप्त हुई है तथा दान का विक्रय पत्र अपीलाट की माता छगनी उर्फ सुगनी को पूर्वं खातेदार गणेश पुत्र मंगला द्वारा प्राप्त हुई है। उक्त दान पत्र के आधार पर ता० 11–6–81 को भू प्र० अधिकारी द्वारा छगनी पत्नि काना के नाम भूमि दर्ज की गई इस प्रकार अपीलांट की माता उक्त दान शुदा भूमि पर बतोर खातेदार काबिज है। अधिनस्थ ए एस ओ द्वारा मिली भगत कर रेस्पो० न० 1 व मृतक रामसहाय से साज व षड्यंत्र रचकर तारीख छगनी को अवैध तरीके से नानगा व रामसहाय ने फोत बताकर परिशोधन पत्र भरवाकर अवैध रूप से खातेदारी प्राप्त की है जबकि छगनी उर्फ सुगनी की मृत्यू 30–6–2008 को हुई है इसका मृत्यू प्रमाण संलग्न है। यानी सन 1983 मे छगनी जिन्दा थी उसको गलत तरीके से मृत बताकर खातेदारी प्राप्त की है जो अपने आप में स्पष्टतया धोखाधडी व साजशीपूर्ण कार्यवाही प्रमाणित होती है इसलिए ए एस ओ का आदेश प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने यौग्य हैं। इस सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा एव फोजदारी केस भी दर्ज कर रखा है जो जैर तफतीश है। ए एस ओ को किसी का उत्तराधिकारी घोषित कर खातेदारी दर्ज करने का कोई अधिकार नही था। भू प्र0 विभाग को तो केवल भूमि की किस्म देखकर ही लगान कायम करने का अधिकार था इसलिए भी ए एस ओ का आदेश व खसरा परिशोधन पत्र प्रथम दृष्टा ही निरस्त किये जाने योग्य है। ए एस ओ ने आदेश देने व परिशोधन पत्र करने से पूर्व ना तो छगनी की मृत्यु के सम्बन्ध मे किसी प्रकार की कोई जांच की नाही किसी गवाह आदि के बयान लिये बल्कि नानगा व रामसहाय के कहे अनुसार मिली भगत कर अवैधानिक कार्यवाही की है जो नियम व कानून विरुद्ध होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। नानगा व रामसहाय मु० छगनी उर्फ सुगनी के वारिस भी नही है बल्कि काना के पुत्र है विवादित भूमि अपीलांट की माता छगनी उर्फ सुगनी को जरिए दानपत्र प्राप्त हुई है एसी सूरत मे ए एस ओ द्वारा विरासत की कार्यवाही की हैं जो प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक व क्षेत्राधिकार बाहर होने से निरस्तनीय है। अधिनस्थ ए एस ओ द्वारा परिशोधन पत्र की कार्यवाही ना तो मजमे आम में की गई और नही किसी प्रकार की कोई जांच की गई जबकि नियमानुसार पूर्ण तरीके से जांच करने के पश्चात ही कार्यवाही की जानी चाहिए थी इसलिए भी ए एस ओ का आदेश व परिंशोधन पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट मृतक छगनी उर्फ सुगनी के वारिस व उत्तराधिकारी है तथा उक्त परिशोधन पत्र व ए एस ओ की कार्यवाही से अपीलांट के हक हकूक प्रमाणित होते है क्योकि अधि० न्यायालय की कार्यवाही में ना तो अपीलांट पक्षकार था और अपीलांट की माता छगनी ही पक्षकार थी उसको कोई सुनवाई व सबूत का मौका भी नही दिया गया इसलिए अपीलांट प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने का अधिकारी है इसलिए का 96 सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत अपील पेश है जिस हेतु प्रार्थना पत्र का 97 सी पी सी अपील के साथ पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ ए एस ओ का आदेश दिनांक ...2-83 खसरा परिशोधन क्रमांकः 8 ग्राम सिंगपुरा में स्थित बाबत ... अपीलांट ... उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज फरमाने के आदेश प्रदान करावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि ए.एस.ओ. द्वारा पारित खसरा परिशोधन आदेश विधिवत रूप से पारित किया है। अपीलांट के द्वारा गलत आधारों पर यह अपील पेश की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,दौसा

5. रेस्पों0 सं0 1 से 6 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. सर्वप्रथम यह प्रकरण सन 1983 में भरे गये भू प्रबंध विभाग द्वारा खसरा परिशोधन पत्र के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो कि 36 साल के विलंब से प्रस्तुत किया गया है जबकि अपील की लिमिटेशन 30 दिवस की होती है। ऐसे में इतना अधिक विलंब को माफ किया जाना बिना उचित कारण संभव नहीं है। साथ ही अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उनका इस विवादित आराजी में जो हित निहित है यह सिद्ध हो सके। अपीलांट स्वयं छगनी के पुत्र बताते है एवं नानगा एवं रामसहाय को उनके वारिस नहीं होने का कथन तो करते है किन्तु इस संबंध में कोई भी साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रथम दृष्टया अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष इस न्यायालय के माध्यम से दिया जाना संभव नहीं है। हम अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य समझते है।
8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:21 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official